मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

हर वोट कीमती ● हर निकाय महत्वपूर्ण

ऑनलाईन नामनिर्देशन (OLIN) – निर्वाचन में अभ्यर्थियों के शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का मतदान केन्द्रों पर फ्लैक्स द्वारा प्रदर्शन

1. अभ्यर्थी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में आपराधिक पूर्ववृत्त, आस्तियों, दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हताओं के सम्बंध में एक शपथपत्र नामनिर्देशन के साथ प्रस्तुत किया जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर को अभ्यर्थियों के शपथपत्र की जानकारी निर्वाचकों के लिए सार्वजनिक रूप से सम्प्रदर्शित की जानी चाहिए।

2. आयोग द्वारा नगर पालिका आम एवं उप निर्वाचन 2017 में ऑनलाईन नामनिर्देशन (OLIN) प्राप्त किये गये है। OLIN के साथ अभ्यर्थी द्वारा शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी भी दर्ज की गई है और उसका प्रिन्टऑऊट हस्ताक्षर कर नामनिर्देशन पत्र के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किया गया है।

3. आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में अभ्यर्थियों के शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का एक तुलनात्मक सार पत्रक तैयार कर मतदान केन्द्र पर निर्वाचकों की जानकारी के लिए सम्प्रदर्शित किया जायेगा :–

   3.1 **जिन निकायों में अध्यक्ष पद का निर्वाचन लड़ने वाले सभी ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची में है और उनके विधिमान्य नामनिर्देशन OLIN के माध्यम से प्राप्त हुए हो।**

   3.2 जिन नगरीय निकायों के समस्त वार्डों में पार्षद पद का निर्वाचन लड़ने वाले सभी ऐसे अभ्यर्थी जिनका नाम निर्वाचन लडने वाले अभ्यर्थियों की सूची में है और उनके विधिमान्य नामनिर्देशन OLIN के माध्यम से प्राप्त हुए हो।

4. शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का तुलनात्मक सार पत्रक IEMS के माध्यम से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जेनरेट किया जायेगा। यह पत्रक PDF फार्म में जेनरेट होगा। रिटर्निंग ऑफिसर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी अभ्यर्थी का नाम छूटा नहीं हों और अभ्यर्थी द्वारा दाखिल किये गये शपथपत्र से भिन्न जानकारी तुलनात्मक सार पत्रक में उल्लेखित न हो।

5. IEMS से जेनरेट शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का तुलनात्मक सार पत्रक (PDF) की फ्लैक्स प्रिन्टिंग की जायेगी। फ्लैक्स का आकार अधिकतम 5X5 फीट होगा। फ्लैक्स के ऊपर के 1 फीट के हिस्से में शीर्ष अंकित होंगे और शेष 4 फीट में अभ्यर्थियों की जानकारी दर्ज होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी की जानकारी के लिए न्यूनतम 6 इंच की जगह उपलब्ध कराई जायेगी। इस प्रकार एक फ्लैक्स पर अधिकतम 8 उम्मीदवारों की जानकारी अंकित की जा सकेगी। उम्मीदवारों की संख्या 8 से अधिक होने पर निरंतरता में नया फ्लैक्स प्रिन्ट किया जायेगा। परन्तु अनुक्रमांक निरंतर होगें। उदाहरण स्वरूप यदि पहले फ्लैक्स में अनुक्रमांक 1 से 5 हैं तो दूसरे में 6 से प्रारंभ होगें। 2 या अधिक फ्लैक्स होने पर ऊपर का टाइटल बार सभी में दोहराया जाएगा।

6. फ्लैक्स श्वेत पृष्ठभूमि का होगा और उस पर विवरण काली स्याही में अंकित किया जायेगा।

7. प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए फ्लैक्स की एक यूनिट प्रिन्ट की जायेगी। यह फ्लैक्स पीठासीन अधिकारियों को मतदान सामग्री वितरण के समय प्रदान किये जायेंगे। पीठासीन अधिकारी मतदान केन्द्र पर सुविधाजनक स्थान पर निर्वाचकों के लिए यह फ्लैक्स टांग कर सम्प्रदर्शित करेंगे।

8. फ्लैक्स की प्रिन्टिंग कलेक्टर कार्यालय/जिला पंचायत कार्यालय/नगरीय निकाय कार्यालय/अन्य जिला स्तरीय शासकीय कार्यालय में वर्तमान में नियमानुसार प्रचलित और स्वीकृत दर पर कराई जा सकती है। फ्लैक्स प्रिन्टिंग के लिए बजट आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

पोलिंग बूथ के बाहर वोटर पढ़ सकेंगे प्रत्याशी की शिक्षा, संपत्ति, कर्ज, अपराध का ब्योरा

भास्कर एक्सक्लूसिव

मध्यप्रदेश में पहली बार प्रयोग, इससे पहले महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग अपने यहां नगरीय निकाय चुनावों में कर चुका है यह व्यवस्था

विशेष संवाददाता | भोपाल

प्रदेश के 10 जिलों के 17 नगरीय निकायों में चुनाव के दौरान मतदान केंद्र के बाहर दीवारों पर उम्मीदवारों की पूरी जानकारी चस्पा होगी। यह निर्णय राज्य निर्वाचन आयोग ने लिया है। 37 नगरीय निकायों यानी 14 नगर पालिका और 23 नगर परिषद में 11 अगस्त को चुनाव होंगे। मध्यप्रदेश में यह पहला प्रयोग है। ताकि मतदाता उम्मीदवार का रिकॉर्ड देख सके। ये व्यवस्था विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी लागू की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने 26 जुलाई को सभी कलेक्टरों को फ्लैक्स लगाने के निर्देश दिए हैं।

अभी सिर्फ ऑनलाइन ब्योरा: वर्तमान में निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर प्रत्याशी के शपथ पत्र का ऑनलाइन ब्योरा रहता है। इस वजह से उम्मीदवार के बारे में विस्तार से जानकारी और खासकर आपराधिक रिकॉर्ड का पता नहीं चलता है।

90 फीसदी मतदाता नहीं देखते वेबसाइट पर प्रत्याशी का ब्योरा

एक फ्लैक्स पर 8 प्रत्याशी का ब्योरा

जिला प्रशासन उम्मीदवारों के शपथ पत्र आईईएमएस के माध्यम से प्रिंट करवाएगा। शपथ पत्र का फ्लैक्स बनवाया जाएगा। एक फ्लैक्स में अधिकतम 8 प्रत्याशी की जानकारी होगी। ये मतदान केंद्र के बाहर दीवार पर लगाए जाएंगे। इससे वोट डालने के पहले आखिरी वक्त पर भी वोटर जानकारी देख सकेगा।

फ्लैक्स में नजर आएगा यह सब

नाम, फोटो, कमाई का जरिया, पढ़ाई, उम्मीदवार की स्वयं की और उसके परिवार की चल-अचल संपत्ति, सरकारी बकाया, बैंक से कर्ज, अपराधिक प्रकरण और किसी मामले में अगर सजा हुई हो।

इन केंद्रों में चस्पा होगी जानकारी

ग्वालियर, उमरिया, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, अलीराजपुर, रतलाम, डबरा, मंडला, बिछिया, पाली, बैहर, लखनादौन, पांढुर्ना, मेहगांव, सारणी, मंडलेश्वर, महेश्वर, भीकनगांव, अलीराजपुर चंद्रशेखर आजाद नगर, जोबट और सैलाना के मतदान केंद्रों के बाहर फ्लैक्स लगाए जाएंगे।

चुनाव में उम्मीदवारों के नामांकन के साथ शपथ पत्र ऑनलाइन भरवाए गए थे। ये शपथ पत्र की जानकारी फ्लैक्स के माध्यम से मतदाता केंद्र के बाहर सार्वजनिक की जाएगी। इसके निर्देश संबंधित जिलों में प्रशासन को भेज दिए गए हैं। - **आर परशुराम**, आयुक्त, राज्य निर्वाचन

आम निर्वाचन 2017 पूर्वार्ध

नगर परिषद - चन्द्र शेखर आजाद नगर जिला - अलीराजपुर के अध्यक्ष पद के

अभ्यर्थियों के शपथपत्र की महत्वपूर्ण जानकारी का सार पत्रक *

									दाण्डिक प्रकरण		
क्र.	अभ्यर्थी का नाम	राजनैतिक दल	शिक्षा	वृत्ति या आजीविका	पारिवारिक चल सम्पत्ति का कुल मूल्य	पारिवारिक अचल सम्पत्ति का कुल मूल्य	सरकारी कुल बकाया	कुल बैंकिंग एवं अन्य ऋण	आरोप नियत	संज्ञान प्रकरण	सिद्ध दोष प्रकरण
1	निर्मला डावर	भारतीय जनता पार्टी	11 पुरानी	कृषि और पशु पालन	11061723	28280000	0	1811970	0	0	0
2	उर्मिला	इण्डियन नेशनल कांग्रेस	8 वी	गृहणी	916220	1034500	0	0	0	0	0
3	कुमारी जैना गहड़वाल	निर्दलीय	B.A. first year	कृषि	932805	932805	0	825708	0	0	0

*अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन नामनिर्देशन में प्रविष्ट की गई जानकारी से रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जेनरेट